



प्रेस नोट

दिनांक 16.05.2025

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.05.2025 को थाना जरिया पुलिस के द्वारा लालदीमान पुत्र स्व० मन्नीलाल को 29 अदद पाउच देशी शराब के साथ बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पुल के नीचे बहद ग्राम कछवाकला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 83/2025 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई।

अभियुक्त का विवरण-

लालदीमान पुत्र स्व० मन्नीलाल (उम्र करीब 62 वर्ष) निवासी ग्राम कछवाकला थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

29 अदद पाउच देशी शराब
गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. हे०का० शिवेन्द्र सिंह
2. का० आशीष रजक
3. का० धीरेन्द्र सिंह

